

एवं प्रतिवादीगणों को आपसी सहमति से विभाजन करवाने में कोई आपत्ति नहीं होने व वादी बाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।


### निर्णय

खेत खसरा नम्बर 895/163 तादादी 4.30 हैक्टेयर (मय गै.मु. रास्ता 0.08 हैक्टेयर) वाकेरोही देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर खाता विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीडूंगरगए नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए। वादी एवं प्रतिवादीगण की कब्जा काशत अनुसार आने जाने के रास्ते को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। रहन यथावत् रहेगा। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2022 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सुनाया गया।



  
(दिव्या)  
उपस्थान्त अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ (वीकानेर)  
श्रीडूंगरगढ

